

वाही

बनाम

प्रतिवादी

इमरान पुत्र गानुश

गणेश चिद वि अदालत

कुम्हार की वाही

राज्य अदालत

किस्म मुकदमा वाही वाद अधीन धारा S3, 188 R.A.C.T मु.नं. 148/2018



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
4.6.18	<p>प्रस्तुत वाद वाही ने प्रतिवादीगण के खिलाफ अर्जत द्वारा S3, 188 R.A.C.T के अन्तर्गत किया वाही का आवेदन वाद पत्र द्वारा S3, 188 R.A.C.T के तहत हर्ज शर्मा वी वाही को सुन वाही ने कथन किया की ग्राम डीपुरा के बख्त 286 में आवेदीकी गैरीकहा सुदा जमीन ने प्रतिवादीगण परेशान कर कबाज करने पर उतारु है उन्हें पाबन्द करवावे प्रतिवादीगण को क्रेप ने सुनना ग्राम प्रतिवादीगण उपर अरपयं ग्राम - डीपुरा उपर पक्षकारान की आपस में बख्त अमानत कराने पर अरवांरा कराने पर अरवांरा होने से क्रेप में उपस्थित रहनीकदा अनुमान को अरवांरा से ग्राम की पक्षकारान का शीनामा आपस में अरवांरा करी पक्षकारान द्वारा शीनामा पत्र किया शीनामा आपस में अरवांरा किया शीनामा वाही के आवेदन वाद पत्र में कार्यवाही होखे गयी होने से पक्षकारान अरवांरा से काम होकर फेरिले हुआ है</p> <p>श्रीगण अरु आम क्रेप डीपुरा में सुनना ग्राम</p>	

Web Copy - Not Official

उपवाह अधिकारी
कुम्हार (नागर)